न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 42/2025

जीसीएमएस नम्बर :: 2025/209

अपीलाण्ट्स :– बनाम रेस्पोडेण्ट्स :–

अपीलाण्ट्स :–

1. सोनाराम पुत्र स्व. श्री बस्तीराम
2. घेवरचन्द पुत्र स्व. श्री बस्तीराम
3. संगीता पुत्री स्व. श्री बस्तीराम
4. कस्तुरी पत्नी स्व. श्री बस्तीराम
5. लादूराम पुत्र नेकाराम जातिगण घांची, निवासीगण गुन्दोज, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली जिला पाली
2. सूजाराम पुत्र नेकाराम, जाति घांची, निवासी गुन्दोज, तहसील पाली जिला पाली

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश गहलोत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 09.12.2025

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध मौजा ग्राम हाथलाई, पटवार मण्डल गुन्दोज I तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 1004 दिनांक 08.10.2024 तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश गहलोत वक्त बहस उपस्थित हुए। सरकारी परोकार उपस्थित। रेस्पो. संख्या 02 स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.11.2025 प्रस्तुत कर जैर नामान्तरकरण में हुई त्रुटि को सुधारने बाबत् निवेदन किया। बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्टस के पूर्वज बस्तीराम जी का देहान्त दिनांक 06.05.2021 को हो चुका है। अपीलाण्ट्स के पिता व भाई बस्तीराम के जीवनकाल में भारत सरकार द्वारा जीवन उपार्जन हेतु एक कृषि भूमि खसरा संख्या 2707/141 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी अव्वल मौजा ग्राम हथलाई पटवार हल्का गुन्दोज प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुन्दोज तहसील पाली जिला पाली में

आवंटित हुई थी। उक्त कृषि भूमि बस्तीराम द्वारा अपने अन्य भाईयों जिसमें अपीलाण्ट संख्या 05 एवं वालाराम, पकाराम एवं सूजाराम के साथ सामूहिक कब्जा काश्त किया जाता रहा है। इस कारण अपीलाण्ट के पूर्वज बस्तीराम व अन्य उपरोक्त भाईयों में आपसी सहमति से यह तय हुआ कि उक्त आवंटित कृषि भूमि जो कुल 15 बीघा है जिसका सभी बराबर–बराबर अर्थात् 3–3 बीघा बांट लेंगे तथा उस पर काबिज काश्त रहेंगे, जो बाद में उक्तानुसार ही काबिज काश्त रहे। अपीलाण्ट के पूर्वज बस्तीराम की मृत्यु के बाद अन्य भाई रेस्पो. संख्या 02 सूजाराम द्वारा न्यायालय, तहसीलदार पाली में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षकारों को सुनकर दिनांक 05.09.2024 को सूजाराम के नाम उपरोक्त कृषि भूमि में से 03 बीघा का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 05.09.2024 की पालना में रेस्पो. संख्या 02 सूजाराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय त्रुटिवश सूजाराम के नाम 03 बीघा के स्थान बस्तीराम की सम्पूर्ण भूमि 9 बीघा का जैर नामान्तरकरण स्वीकृत हो गया, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

रेस्पो. संख्या 02 स्वयं न्यायालय हाजा में दिनांक 26.11.2025 को उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जैर नामान्तरकरण में हुई त्रुटि को सुधारने बाबत् निवेदन किया।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1004 दिनांक 08.10.2024 जो कि न्यायालय तहसीलदार पाली के राजस्व विविध मुकदमा संख्या 11/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 05.09.2024 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी सूजाराम द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया कि "विवादग्रस्त भूमि मौजा ग्राम हाथलाई के खसरा संख्या 2707/141 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में वसीयतकर्ता बस्तीराम पुत्र नेकाराम जाति घांची निवासी गुन्दोज के नाम दर्ज भूमि में से अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10.06.2013 के अनुसार 03 बीघा भूमि प्रार्थी सूजाराम पुत्र नेकाराम जाति घांची निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करे' तथा उक्त आदेश के आधार पर जैर नामान्तरकरण संख्या 1004 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण में काश्तकार सूजाराम (रेस्पो. संख्या 02) के उक्त आदेश के अनुसार 03 बीघा के स्थान पर 09 बीघा दर्ज कर दी गई जो प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अतएव हम मौजा ग्राम हाथलाई, पटवार मण्डल गुन्दोज I तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 1004 दिनांक 08.10.2024 को निरस्त कर तद्नुसार तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में पुनः आपके न्यायालय राजस्व विविध मुकदमा संख्या 11/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 के अनुसार सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.01.2026 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली